ग्राम पंचायत घरना, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घरना, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री प्रेम दास	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति नीलम कुमारी	23.1.2016 से 31.3.2016

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री राजीव कुमार	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत घरना के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	8	31.3.2016 को अनुदान की उपयोग हेतु शेष राशि	17.38
2.	9	गृहकर वसूली की रसीदें जारी न करना	0.11
3.	10	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	0.22

4.	12	तकनीकी अधिकारी के मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	1.57
5.	13	मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	0.88

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत घरना, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.6.2016 से 22.6.2016 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	1/2014	9/2013
2014–15	3/2015	12/2014
2015–16	3/2016	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत घरना, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 137/2016, दिनांक 22.6.2016 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत से अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि यूको बैंक की ड्राफ्ट संख्या : 149522, दिनांक 27.6.2016 द्वारा भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत घरना द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत घरना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	338262.94	64432	402694.94	84206.50	318488.44
2014–15	318488.44	117737	436225.44	27728.88	408496.56
2015–16	408496.56	136888	545384.56	81877.36	463507.20

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत घरना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	1113955.08	3037992	4151947.08	3295470.5	856476.58
2014–15	856476.58	1582688	2439164.58	1819498	619666.58
2015–16	619666.58	3757871.28	4377537.86	2639831.28	1737706.58

5. बैंक समाधान विवरणी :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घरना द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं कि, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹58150.38 का अन्तर था। अतः पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ वही के अन्तशेषों का बैंक खातों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. रोकड़ वही खाता "क" पैरा 4(1) का अन्तशेष 463507.20
2. रोकड़ वही खाता "ख" पैरा 4(2) का अन्तशेष 1737706.58

योग ₹2201213.78

अन्तशेष का विवरण :– दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बचत खाता सं0	राशि
1.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014455	1426
2.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014479	219764.84
3.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014462	105366.32
4.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014486	962252
5.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014448	2740
6.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014509	5229
7.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014431	130970
8.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014493	43320
9.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014424	11
10.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014417	34452
11.	यूको बैंक खुंडियां	12900110014524	0
12.	यूको बैंक खुंडियां	1290011004838	46445
13.	यूको बैंक खुंडियां	1290011004524	37478
14.	यूको बैंक खुंडियां	1290011004524	1273
15.	यूको बैंक खुंडियां	20008005489	668637
16.	यूको बैंक खुंडियां	87860101832529	0
		योग	₹2259364.16

अन्तर : ₹2259364.16–₹2201213.78=₹58150.38

6. निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7. गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8. अनुदान ₹17.38 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1737706 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. ₹11360 की वसूली की रसीदें जारी न करना :–

ग्राम पंचायत घरना द्वारा मास 3/2015 में ₹11360 की प्राप्ति रोकड़ वही में दर्ज की गई तथा इसे गृहकर दर्शाया गया, परन्तु गृह स्वामियों को कोई भी रसीद जारी न करने के फलस्वरूप यह जांच नहीं की जा सकी कि किस गृह स्वामी से कितनी राशि की वसूली की गई। अतः इस बारे नियमानुसार रसीदें न जारी करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में ग्राम पंचायत द्वारा जो भी आय प्राप्त की जाती है। उसकी रसीदें जारी करना सुनिश्चित करें।

10. प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹21891 का अधिक व्यय :–

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों तथा वित्तीय स्थिति के अनुसार MMGPY,IAY,CDPO में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार ₹21891 की राशि ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन MMGPY,IAY,CDPO में अथवा किसी

अन्य योजना से MMGPY,IAY,CDPO का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1.	MMGPY	971
2.	IAY	2105
3.	CDPO	18815
	योग	₹21891

11. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जांच हेतु उपलब्ध न करवाना :–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है कि जोकि अनुचित है, क्योंकि लिखित रूप से अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

12. तकनीकी अधिकारी के मूल्यांकन के बिना भुगतान करना :–

प्रधान सचिव (ग्रा0 वि0 एवं पं0 रा0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एसएमएस–17/2002–आरडीडी(जीआरएस) दिनांक 22.9.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्यांकन assessment के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि परिशिष्ट–2 पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों में पंचायत द्वारा ₹156963 का भुगतान मूल्यांकन के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

13. निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट–3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹87752 से विभिन्न मदों का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे

स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई मदों का स्टॉक रजिस्टर भी लगाया गया है तथा उसमें निर्माण कार्यों की कुछ ही मदों को दर्ज किया गया है, परन्तु परिशिष्ट (3) में दर्शाई गई मदों को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करने के कारण उनके उपयोग की जांच नहीं हो सकी, जिसके कारण इन मदों के दुर्विनियोजन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः क्रय की गई विभिन्न मदों स्टॉक स्टोर को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14. मापन पुस्तिकाओं का सत्यापन न करना :–

ग्राम पंचायत घरना की मनरेगा अनुदान के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों के मुल्यांकन की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायकों द्वारा लिखी गई, परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी अधिकारी द्वारा प्रविष्टियों का न तो सत्यापन किया गया और न ही test check किया गया। अतः उक्त के अभाव में मुल्यांकन तथा भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

15. अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) के बिना भुगतान करना :–

ग्राम पंचायत के भुगतान वाउचरों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) व (2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद में या चेक द्वारा कोई भी संदय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित अदायगी धारित नहीं करता है। जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

16. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	—	103
4.	मसिक समाधान विवरणी	15(1)	—
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
6.	मंग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों का रख–रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

19. **निष्कर्ष :–** ग्राम पंचायत द्वारा विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना लेखे के प्रति उदासीनता को ही दर्शाता है, जिसे विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि वह ग्राम पंचायत घरना को नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव करने हेतु दिशा–निर्देश जारी करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(11)7/2016, खण्ड–1–4706–4709 दिनांक 02.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी कांगडा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

पंजीकृत

4. सचिव, ग्राम पंचायत घरना, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.